

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 634 / 2024

सिकन्दर सिंह ग्रेवाल पुत्र श्री नौतेज सिंह ग्रेवाल जाति जटसिख निवासी गली नं. 02 वार्ड
नं. 01 नर्सरी रोड, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

1. नौतेज सिंह ग्रेवाल पुत्र श्री अजायब सिंह ग्रेवाल जाति जटसिख निवासी गली नं. 02
वार्ड नं. 01 नर्सरी रोड, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. रमनदीप कौर पुत्री श्री नौतेज सिंह ग्रेवाल पत्नी दीपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी
एसएस मोहाली (पंजाब)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 6.5.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई
रोबरू हमारे बहाजरी श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक वादीगण व श्री कैलाश सिवल अभिभाषक
प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के
आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है
कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 20 ए.एम.पी. खाता सं.
41/35 जं.सं. 2070-73 में कुल 5.186 है. में से 2.593 है. नहरी कृषि भूमि मय गै.मु. का
वादी सिकन्दर सिंह ग्रेवाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1
नौतेज सिंह ग्रेवाल का हिस्सा इस कदर कम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड
में अंकन किया जावे।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज. निल. मुब्लिक. निल. बाबत. निल. खर्चा मुकदमें के मय
शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.5.2025 को जारी किया
गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया